

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर तारानगर व अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प

कोर्ट तारानगर

क्र. 401/14 बनाम राज सुवाल
किरम मुकदमा 5327 नं. 28 सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
<p>25 18</p>	<p>आज यह वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट <u>तारानगर</u> में <u>अजयलाम</u> पुत्र <u>लीकाम</u> जाति <u>नाथक</u> निवासी <u>तारानगर</u> तहसील तारानगर ने पेश किया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पक्षकारों ने उपस्थित होकर <u>50</u> रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर व नक्शा ट्रेस पर वाहमी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारों को समझाया गया। सभी पक्षों ने राजीनामा पढ व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारों की पहचान <u>तारानगर</u> सरपंच ग्राम पंचायत <u>तारानगर</u> सदस्य लोक अदालत सलाहकार समिति <u>तारानगर</u> ने की। पक्षकारों का खाता विभाजन का वाद लोक अदालत बैंच <u>तारानगर</u> द्वारा स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारों के हक हिस्सा में रहेगी। तहसीलदार तारानगर को नक्शा ट्रेस की प्रति भिजवाई जाकर राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो।</p> <p>पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब, तकमील होर दाखिल दफतर हो।</p>	<p>31/10/18</p>

तारानगर
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)